छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

दूरभाष : 0771 – 2437309, 2422425, फैक्स : 0771 – 2429385

प्रवेश संबंधी नियम एवं निर्देश

शैक्षणिक सत्र 2019– 2020 के लिये शालाओं में दिनांक 18 जून 2019 से प्रवेश प्रारंभ होगा, इस हेतु प्रवेश संबंधी नियम एवं निर्देश निम्नानुसार हैं :–

प्रवेश

कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रवेश की अंतिम तिथि 31–07–2019 निर्धारित की गई है। इस तिथि तक समस्त औपचारिकताएं अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाय। कृपया इस बात से अवगत हो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस बात पर आपत्ति दर्ज की गई है कि कुछ संस्थाओं द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना ही छात्रों को प्रवेश दे दिया जाता है अतः आप से अनुरोध किया जाता है कि जिन छात्रों के द्वारा 31 जुलाई 2019 तक नया प्रवेश लिया जायेगा उनकी समस्त औपचारिकताएं अनिवार्यः पूर्ण करें।

मण्डल सचिव की अनुमति से दिनांक 16–08–2019 तक प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके पश्चात् किसी प्रकार के प्रवेश की अनुमति नहीं है। कक्षा 10वीं के पूरक प्राप्त छात्रों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा। मण्डल की पूरक/क्रेडिट योजना के अंतर्गत कोई छात्र/छात्रा उत्तीर्ण होते है तो उन्हें परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर अगली कक्षा में प्रवेश की पात्रता होगी। हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के पूरक परीक्षा परिणाम के पश्चात् जो छात्र उत्तीर्ण होंगे वे अगली कक्षा में नियमित प्रवेश हेतु पात्र होगें तथा जो छात्र अनुत्तीर्ण होंगे वे पात्रतानुसार पिछली कक्षा में ही अध्ययनरत् रहेगें।

(1) स्थानांतरण प्रकरण–

शासकीय सेवक (राज्य एवं केन्द्र) के स्थानांतरण **की स्थिति** में उनके पाल्यों को **हाईस्कूल एवं** हायर सेकण्डरी में सीधे प्रवेश दिया जा **सकेगा, परन्तु इसकी अंतिम** तिथि 30–11–2019 होगी। **उसे** ग्राहयता की कार्यवाही पूर्ण **करना अनिवार्य होगा तथा पूर्व** विद्यालय से उपस्थिति **की** गणना प्राप्त कर प्रस्तुत कर**ना होगा।**

(2) अतिरिक्त प्रवेश–

कक्षा 9वीं एवं 11वीं में विद्यालय की अधोसंरचना एवं स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर संख्या निर्धारित करते हुये नवीन प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवेश हेतु निम्न सावधानी रखें :–

(i) कक्षा 10वीं एवं 12वीं में स्थानांतरण प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों में 10 प्रतिशत से अधिक सीधे प्रवेश दिये जाने का प्रावधान नहीं है। **उदाहरणार्थ**– किसी संस्था में कक्षा 9वीं में उत्तीर्ण 100 छात्र, कक्षा 10वीं में अनुत्तीर्ण 20 छात्र तथा श्रेणी सुधार के 10 छात्र हैं। इस प्रकार कुल 130 छात्रों का 10 प्रतिशत 13 होता है अर्थात अधिकतम 13 छात्रों को ही प्राचार्य द्वारा बिना मण्डल की अनुमति के अतिरिक्त प्रवेश दिया जा सकता है, ऐसी संस्थायें जहाँ कक्षा 10वीं एवं 12वीं में छात्र संख्या 45 से कम हैं तो ऐसी परिस्थिति में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 45 छात्र संख्या तक प्रवेश हेतु उपरोक्त नियम 10% वृद्धि में शिथिलता रहेगी।

(ii) यदि संस्था के प्राचार्य 10 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त प्रवेश देना चाहते हैं तो आवश्यकतानुसार भवन विस्तार, शिक्षक, स्टाफ, फर्नीचर आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर के स्कूल भवन का नक्शा एवं फोटो संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर निर्धारित प्रपत्र में मण्डल कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करें तथा मण्डल कार्यालय द्वारा अनुमति दिये जाने पर ही अतिरिक्त प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि असाधारण रूप से अधिक प्रवेश की अनुमति मांगी जाती है तो यह मण्डल की जॉच का विषय होगा।

उपरोक्त नियम का कड़ाई से पालन किया जाय। नियम विरूद्ध प्रवेश दिये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(iii) प्रवेश नीति के विरूद्ध एवं अपात्र छात्रों को प्रवेश देने पर छात्रों का प्रवेश निरस्त किया जावेगा तथा सम्बंधित शाला की मान्यता भी समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी।

टीप– किसी भी स्थिति में छात्र/पालक को प्रवेश अनुमति हेतु मण्डल कार्यालय न भेजे। संस्था के माध्यम से ही कार्यवाही की जावे।

(3) क्रेडिट योजना के छात्रों हेतु प्रवेश प्रावधान

क्रेडिट योजना के अंतर्गत प्रथम बार सम्मिलित छात्र उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में नियमानुसार नियमित प्रवेश ले सकेगा तथा प्रथम बार अनुत्तीर्ण होने पर उसी कक्षा में नियमानुसार नियमित प्रवेश ले सकेगा।

(4) अन्य राज्यों के बोर्ड/अन्य बोर्ड के छात्रों हेतु प्रवेश प्रावधान–

अन्य राज्यों के बोर्ड/अन्य बोर्ड **जिन्हें** मण्डल विनियम के अनुसार हाईस्कूल हेतु **समकक्षता प्रदान** की गयी है, उन बोर्ड के हाईस्कूल एवं **हायर सेकण्डरी** परीक्षा में प्रथम बार **अनुत्तीर्ण छात्रों को** मण्डल की हाईस्कूल एवं हायर **सेकण्डरी में प्रवेश** की पात्रता होगी, **लेकिन** उन्हें **ग्राह्यता** की कार्यवाही दिनांक **31–08–2019 तक अनिवार्यतः** पूर्ण करनी होगी।

ग्राह्यता प्रक्रिया–

केन्द्रीय बोर्ड – सी0 बी0 एस0 ई0/ आई0 सी0 एस0 ई0 या अन्य राज्यों के समकक्ष बोर्ड एवं मण्डल की नियम पुस्तिका– 216 में सूचीबद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य बोर्ड (छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल एवं छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या **मंडलम)** के छात्रों को प्रवेश हेतु नियमानुसार ग्राह्यता की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक **है। ऐसे सभी छात्रों से घोषणा पत्र प्राप्त कर** अस्थायी **प्रवेश की कार्यवाही** करें एवं ग्राह्यता

हेतु शुल्क एवं निर्धारित प्रपत्र मण्डल में दिनाँक 31–08–2019 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। किसी भी स्थिति में छात्र या पालक को ग्राह्यता हेतु मण्डल में न भेजें।

ग्राह्यता हेतु निर्धारित प्रपत्र मण्डल की वेब साइट www.vidia.cgbse.nic.in में ऑनलाईन प्रविष्टि करें।

ग्राह्यता हेतु छात्र से मूल टी0 सी0, मूल माईग्रेशन सर्टिफिकेट एवं मूल अँकसूची के साथ–साथ प्रत्येक की अभिप्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जाय।

(5) अधिकतम आयु सीमा–

मण्डल के स्वाध्यायी/क्रेडिट योजना से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु इसकी अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी।

(6) प्रवेश सूची–

प्रवेश प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत प्रवेश सूची अनिवार्य रूप से दिनांक 20–08–2019 तक मण्डल के वेबसाईट www.vidia.cgbse.nic.in में ऑनलाईन प्रविष्टि करें।

प्रवेश की अन्य शर्तें
कक्षा 9वीं तथा 11वीं हेतु

कक्षा 9वीं– कक्षा 9वीं में पंजीयन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी। कक्षा 8वीं उत्तीर्ण छात्रो को पात्रतानुसार निर्धारित अवधि तक कक्षा 9वीं में नियमित प्रवेश दिया जावेगा। छात्रों को बीच सत्र में प्रवेश की पात्रता नियमानुसार होगी।

नामाँकन – मण्डल विनियम क्रमाँकः 128 के तहत समस्त नवीन प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों का मण्डल में नामाँकन कराया जाना अनिवार्य है, इसके अभाव में वे मण्डल की किसी भी परीक्षा में बैठने के लिये अपात्र होंगे।

सत्र 2019–20 हेतु मण्डल की समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 9वीं में प्रवेश छात्रों का नामांकन किया जाना आवश्यक है। ऐसे सभी छात्र जिन्होंने सत्र 2019–20 में कक्षा 9वीं में प्रवेश लिया है, उनकी प्रवेश प्रक्रिया हेतु संस्था द्वारा मण्डल की वेबसाइट www.vidia.cgbse.nic.in में ऑनलाईन नामांकन फार्म भरना आवश्यक होगा। नामांकन प्रक्रिया दिनांक 31–08–2019 तक पूर्ण करें।

मण्डल में एक बार नामांकन होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में छात्र से दोबारा नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

शैक्षणिक सत्र 2019–20 में केवल सत्र 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 के 8वीं उत्तीर्ण तथा वर्ष 2018–19 के कक्षा 9वीं में प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही कक्षा 9वीं में प्रवेश की पात्रता होगी।

कक्षा 11वीं– कक्षा 11वीं में भी प्रवेश की अंतिम तिथि **31 जुलाई 2019 रहेगी**। कक्षा 10वीं के पूरक प्राप्त नियमित छात्रों को अगली कक्षा में अस**थायी प्रवेश दिया** जा सकेगा किन्तु पूरक परीक्षा के पश्चात जो छात्र उत्तीर्ण होगे वे ही 11वीं कक्षा में नियमित माने जावेंगे और जो छात्र अनुत्तीर्ण होगे वे कक्षा 10वीं में ही अध्ययनरत् रहेगे। कक्षा 11वीं प्रथम बार अनुत्तीर्ण छात्रों को भी नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

शैक्षणिक सत्र 2019–20 में केवल सत्र 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 के इस बोर्ड अथवा मण्डल की समकक्षता/मान्यता प्राप्त अन्य बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण (कक्षा 10वीं) तथा वर्ष 2018–19 के कक्षा 11वीं में प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही कक्षा 11वीं में प्रवेश की पात्रता होगी।

कक्षा 10वीं तथा 12वीं हेतु

कक्षा 10वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से निम्नलिखित परीक्षार्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा:—

(i) ऐसे परीक्षार्थी जिन्होने कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा वर्ष 2019 में उत्तीर्ण की है वे अगली कक्षा में प्रवेश हेतु पात्र होगें।

(ii) कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा 2019 में नियमित रूप से सम्मिलित हुये ऐसे परीक्षार्थी जो प्रथम बार उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हों उन्हें उसी कक्षा में पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा।

(iii) सत्र 2017—18 की कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं एवं कक्षा 11वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए ऐसे परीक्षार्थी जो किसी कारणवश शैक्षणिक सत्र 2018—19 में हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हों अर्थात उनका एक वर्ष का अन्तराल **(GAP)** आया हो, ऐसे परीक्षार्थी एक वर्ष अंतराल **(GAP)** का शपथ—पत्र प्रस्तुत कर सत्र 2019—20 में अगली कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं।

(iv) मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा वर्ष 2018 या 2019 में सम्मिलित ऐसे परीक्षार्थी जो उत्तीर्ण तो हो गये हैं, किन्तु श्रेणी सुधार की परीक्षा देना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों को नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा किन्तु जो छात्र वर्ष 2018 या 2019 के पूर्व के वर्षो में 10वीं या 12वीं परीक्षा के उत्तीर्ण हुए है वे श्रेणी सुधार परीक्षा हेतु पात्र नहीं होगे। इस योजना में केवल एक अवसर ही मिलेगा। श्रेणी सुधार में विषय परिवर्तन मान्य नही है तथा 2018 के परीक्षार्थियों को एक वर्ष अंतराल **(GAP)** का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

श्रेणी सुधार/अंक सुधार योजना में पूर्व प्राप्तांक में 01 अंक की वृद्धि होने पर भी नवीन अंकसूची प्रदान की जावेगी। छात्रों की पुरानी अंकसूची वापस प्राप्त होने पर नवीन अंकसूची प्रदान की जावेगी। अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को श्रेणी सुधार/अंक सुधार योजना की पात्रता नहीं है।

(V) वर्ष 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूरक प्राप्त छात्रों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश दे सकेंगे। हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी **के पूरक** परीक्षा परिणाम **के पश्चात्** जो छात्र उत्तीर्ण **होंगे वे अगली** कक्षा में नियमित माने जावेंगे और अनुत्तीर्ण **होने पर पात्रतानुसार पिछली** कक्षा में ही **अध्ययनरत्** रहेगें।

(VI) अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण कोई छात्र यदि आपकी संस्था में कक्षा 12वीं में प्रवेश लेता है तो छात्र की 10वीं बोर्ड की अंकसूची का सत्यापन संबंधित बोर्ड से कराया जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में गलत पाये जाने पर सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था के प्राचार्य की होगी।

नोट :— दो वर्ष या उससे अधिक एक ही कक्षा में लगातार अनुत्तीर्ण होने पर तथा एक वर्ष से अधिक का अंतराल **(GAP)** होने पर विद्यार्थी केवल स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

विषय / संकाय / ट्रेड परिवर्तन

किसी भी संकाय से कक्षा 11वीं में प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को कक्षा 11वीं में **(हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम को छोड़कर)**/किसी भी संकाय से कक्षा 11वीं उत्तीर्ण तथा कक्षा 12वीं प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को कक्षा 12वीं में प्रवेश हेतु विषय/ट्रेड परिवर्तन की निम्नानुसार पात्रता होगी :–

(i) विज्ञान संकाय का छात्र अन्य किसी भी विषय/संकाय में परिवर्तन कर सकता है।

(ii) वाणिज्य संकाय का छात्र विज्ञान संकाय को छोड़कर किसी भी संकाय में परिवर्तन कर सकता है।

(iii) कला संकाय का छात्र कला संकाय में ही विषय परिवर्तन कर सकता है, इसके अतिरिक्त अन्य संकाय में परिवर्तन करने की पात्रता नहीं होगी।

(iv) किसी भी संकाय के कक्षा 11वीं उत्तीर्ण एवं कक्षा 12वीं प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कक्षा 12वीं में प्रवेश की पात्रता होगी।*

***विशेष :- 1. वर्तमान में हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कक्षा 11वीं में प्रवेश नहीं दिया जाए। हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कक्षा 11वीं में प्रवेश संबंधित निर्देश पृथक से जारी किये जायेगे।**

2. सत्र 2018–19 के कक्षा 11वीं हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण परीक्षार्थी को कक्षा 12वीं की हायर सेकण्डरी व्यावसायिक परीक्षा में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

14/6/19

(प्रोफेसर व्ही0 के0 गोयल)
सचिव
छ0 ग0 माध्यमिक मण्डल
रायपुर

****